

असुरण प्रताप सिंह देव शासकीय महाविद्यालय
शंकरगढ़, जिला - बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.)

महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी

1. अरुचिकर यौन भावना से प्रेरित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किये गये सभी व्यवहार।
2. यौन अनुग्रह की मांग।
3. यौन अर्थ में रंजित फलियाँ।
4. अश्लील चित्र दिखाना।
5. कोई अन्य अरुचिकर यौन भावना से प्रेरित, शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक सम्पर्क।
6. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाय।
7. ऐसा यौन उत्पीड़न जो विदेश या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जाय।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी/पमकी देकर किया जाय।
9. छेड़छानी करना।
10. किसी स्त्री की सवतंत्रता को भंग करने का प्रयत्न करना।
11. भद्दा मजाक करना।
12. फोन पर अश्लील बात करना।

यौन उत्पीड़न, यौन अपराध होने पर शीघ्र शिकायत दर्ज करावें।


आदेशानुसार
प्राचार्य

B.SC.-III

CL/ छात्रा सामान्य कक्षा (22)
(गर्ल्स कॉमन रूम)

बी.एस.सी. - III

बिजली बचाएं
SAVE
ELECTRICITY







GIR

शौचालय
(महिला)

-ROOM

महिला-शौचालय

कुम दयाजी
कपड़े

